

एस. एस. बी. का सदस्य कैसे बने ?

भर्ती प्रक्रिया चलाने वाली एजेंसी	पद जिनके लिए भर्ती की जा रही है।
संघ लोक सेवा आयोग	सहायक कमांडेंट (सीधी भर्ती) के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है, जिसके लिए वार्षिक रूप से अधिसूचना जारी की जाती है परीक्षा की विधि, तिथियाँ और अर्हता के लिए अन्य आवश्यकताएं वर्णित अधिसूचना में दी गई हैं।
कर्मचारी चयन आयोग	उप निरीक्षक (सामान्य) (सीधी भर्ती) और सिपाही के पदों के लिए भर्ती
सशस्त्र सीमा बल	सहायक कमांडेंट (वेट), सहायक कमांडेंट/ सामान्य (एल.डी.सी.ई), उप निरीक्षक सामान्य (एल.डी.सी.ई), उप निरीक्षक/ अनुसचिविय (एल.डी.सी.ई), मुख्य सिपाही/ अनुसचिविय (एल.डी.सी.ई), उप निरीक्षक (ड्राफ्टसमैन) सहा. उप निरीक्षक (आशु), उप निरीक्षक (दूरसंचार) सहा. उपनिरीक्षक (दूरसंचार) सिपाही (दूरसंचार), उप निरीक्षक (पायोनियर), मुख्य सिपाही (इलैक्ट्र.), मुख्य सिपाही (वर्कशाप), मुख्य सिपाही (वेटी), उप निरीक्षक (स्टाफ नर्स), सहा. उप निरीक्षक (फार्मासिस्ट), सहा. उप निरीक्षक (फिजियोथेरेपी), सहा. उप निरीक्षक (ओ.टी. टेकनिशियन), सहा. उप निरीक्षक (रेडियोग्राफर), सहा. उप निरीक्षक (डेंटल टेकनिशियन), मुख्य आरक्षी (स्टेवार्ड), सिपाही (लेव सहा.), सिपाही (नर्सिंग ओरडरली), सिपाही (आया) महिला, सिपाही (मसालची), सिपाही (टेबल बॉय), सिपाही (चालक), सिपाही (कुक), सिपाही (धोबी), सिपाही (बारबर), सिपाही (सफाईवाला), सिपाही (वॉटर कैरियर), सिपाही (वेटर), सिपाही (मेसन), सिपाही (कारपेंटर), सिपाही (पेंटर), सिपाही (पलम्बर), सिपाही (बलैक स्मिथ), सिपाही (टेलर), सिपाही (कोबलर), सिपाही (गार्डनर) के पदों के लिए भर्ती ।

एस. एस.बी. भर्ती वेवसाइट

जीवन वृत्ति की संभावना (Career Prospects)

सामान्य कैडर की पदोन्नति के लिए रेजीडेंसी अवधि (मुख्य सिपाही से निरीक्षक)

क्रम सं.	पद	रेजीडेंसी	पदोन्नति के लिए वास्तविक रूप से लिया गया समय और क्या छूट/ अधित्याग लिया गया या नहीं
1	सिपाही से मुख्य सिपाही	सिपाही के पद पर 8 वर्ष	12 वर्ष, कोई छूट नहीं
2	मुख्य सिपाही से सहा. उपनिरीक्षक	मुख्य सिपाही/ सामान्य के पद पर 5 वर्ष (जैसा भर्ती नियम में वर्णित है।)	मुख्य सिपाही (सा.) से सहा. उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नति अभी की जानी है, चूंकि भर्ती नियमों को अधिसूचित कराने की प्रक्रिया जारी है।
3	सहा. उप निरीक्षक से उप निरीक्षक	सहा. उप निरीक्षक के पद पर 5 वर्ष (जैसा भर्ती नियम में वर्णित है।)	सहायक उपनिरीक्षक (सा.) से उप निरीक्षक (सा.) की पदोन्नति अभी की जानी है, चूंकि परिसंशोधित भर्ती नियमों को अधिसूचित कराने की प्रक्रिया जारी है।
4	उप निरीक्षक से निरीक्षक	5 वर्ष	4 वर्ष, 02 माह, 20 दिन (गृह मंत्रालय से 09 माह और 10 दिन के लिए छूट मांगी गई है।)

